



2026:AHC: 53551

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 1851 वर्ष 2026

लविश कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव गृह उत्तर प्रदेश, लखनऊ और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : पुष्पेन्द्र सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. मौर्य को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- वर्तमान आवेदन थाना अहमदगढ़, जिला बुलंदशहर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 299 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 303(2), 317(2), 317(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) के अंतर्गत अग्रिम जमानत मांगने के लिए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सके।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस वाद में झूठा फँसाया गया है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई है और विवेचना के दौरान, आवेदक का नाम सह-अभियुक्त परवेश, सूरज और महेश के संस्वीकृति कथन में सामने आया है और उनके कब्जे से कुछ चोरी के वाहन बरामद होने की बात कही गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का 24 वादों का आपराधिक इतिहास है और अधिकांश वादों में, वह जमानत पर है और उसने अपने पूरे आपराधिक इतिहास को विधिवत स्पष्ट किया है, जिसे पहले ही दाखिल किए गए पूरक शपथ पत्र में स्पष्ट किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वचन देता है और वह विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन का विरोध किया है।

5- प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई है और विवेचना के दौरान, आवेदक का नाम सह-अभियुक्त परवेश, सूरज और महेश के संस्वीकृति कथन में सामने आया है और उनके कब्जे से कुछ चोरी के वाहन बरामद होने की बात कही गई है। आवेदक का 24 वादों का आपराधिक इतिहास है और अधिकांश वादों में, वह जमानत पर है और उसने अपने पूरे आपराधिक इतिहास को विधिवत स्पष्ट किया है, जिसे पहले ही दाखिल किए गए पूरक शपथ पत्र में स्पष्ट किया गया है।

6- यह बताया जा सकता है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694** के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत निर्णीत करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के खिलाफ संपूर्ण उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और अभियुक्त के सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7- वर्तमान वाद में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधिक सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रस्तुतीकरण, आवेदक की भूमिका और वाद के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8- अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9- पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- **लविश कुमार** की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर 50,000/- रुपये का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए :-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- (iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10- किसी भी शर्त की चूक के स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने लिए उपयुक्त आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

17 मार्च, 2026

आरकेएम